श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : उपसभापति जी, हम लोगों को क्लैरिफिकेशन पूछने के लिए मौका दिया जाए।

श्री उपसभापति : हां, आपको मौका दिया जाएगा। I will allow you on clarifications.

श्री एम. वेंकैया नायडु : सर, स्टेटमेंट हो चुका है, चर्चा हो चुकी है, इसलिए स्पष्टीकरण पूछना चाहिए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Sharad*ji*, what I am saying is, you want to raise the same issue. The Minister is there. We can seek clarifications. I am calling Sharad*ji* first for seeking clarifications.

SHRI NARESH AGRAWAL: Then, me.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, send me names. Send me names.

श्री नरेश अग्रवाल : सर, मेरा नोटिस है।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (उत्तराखंड) : डिप्टी चेयरमैन, सर मेरा भी नोटिस है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Yes, yes. आप बैठिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री महेन्द्र सिंह माहरा : सर, उत्तराखंड के साथ धार्मिक भेदभाव हो रहा है। इस पर चर्चा होनी चाहिए।

श्री उपसभापति : मैं आपको बुलाऊंगा, आप अपनी सीट पर वापस जाइए।...(**व्यवधान**)...आप अपनी सीट पर जाइए। शरद जी, आप बोलिए।

CLARIFICATION ON THE STATEMENT BY MINISTER

Re. Issue of civil services exams conducted by UPSC

श्री शरद यादव (बिहार) : डिप्टी चेयरमैन सर, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि देश की जो बोली है, वह मां की बोली है, उस मां की जीभ कैसे काटी जा रही है। मैं आपको सिर्फ इसके आंकड़े देता हूं तमिल के विद्यार्थी - 2008 में 98, 2009 में 90, 2010 में 38 और 2011 में 14; कन्नड़ के विद्यार्थी हैं - 2008 में 14, 2009 में 11, 2010 में 11 और 2011 में 5; तेलुगू के विद्यार्थी है 2008 में 117, 2009 में 85, 2010 में 69 और 2011 में 29; हिन्दी के विद्यार्थी - 2008 में 5,082, 2009 में 4,839, 2010 में 4,156 और 2011 में 1,682 और इंग्लिश के विद्यार्थियों की हालत देखिए - 2008 में 5,817, 2009 में 6,244, में 2010 में 7, 329 और 2011 में 9,203 यानी ये एप्रॉक्सिमेटली डबल हो गए। आजादी के बाद से अंग्रेजी को बनाए रखने के लिए, तमिलनाडु के मेम्बर्स यहां बैठे हैं, अंग्रेजी के चलते तमिलियंस की हालत यह हुई है। यानी कहां तो पहले वे 98 थे, लेकिन आज आपकी भाषा के केवल 14 विद्यार्थी ही आ रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

डा. वी. मैत्रेयन (तमिलनाडु) : हिन्दी होती, तो भी यही होता।

श्री शरद यादव : पहले आप मेरी बात सुनिए, बाद में आप अपनी बात कह लीजिएगा।

महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि ये हिन्दुस्तान की धरती की बोलियां हैं। याद रखना, दुनिया में कोई भी देश ट्रांस्लेशन से आगे नहीं बढ़ेगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि मैं अपनी बोली और अपनी भाषा में बोलूंगा, यह सुनकर मुझे बहुत सुकून हुआ। गृह मंत्री जी ने भी यही बात कही, तो मुझे बहुत सुकून हुआ। लेकिन जिस तरह 15-20 दिन से ये विद्यार्थी तबाह और बरबाद किए जा रहे हैं और जिस तरह से छाया के लिए उनको छत तक नहीं दी जा रही है, इसके लिए मैंने कमिश्नर को पत्र भी लिखा, तब भी वे उनसे नहीं मिले।

यहां जो सभी एम.पीज. बोल रहे हैं, इनमें से हरेक के घर 50 लड़के, 20 लड़के, 30 लड़के खड़े हैं। जो डी.ओ.पी.टी. के मिनिस्टर हैं, इसके लिए उनसे मैंने खुद बात की, फिर भी एडमिट कार्ड ऑनलाइन निकाल दिए गए। एडमिट कार्ड निकलने का मतलब यह है कि एग्जाम शुरू हो गया है। सबसे आप ऑनलाइन एडमिट कार्ड वाली चीज को खत्म करिए, तभी समझ में आ सकता है कि आप CSAT के बारे में पुनर्विचार कर रहे हैं। जब परीक्षा का, एग्जाम का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, तो कमेटी कब अपनी रिपोर्ट तक देगी? इस ऐवान में जवाब देते समय आप हमें यह भी बताइए कि आपके जवाब से क्या इन लड़कों का भविष्य बन जाएगा?

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Okay. Please.

श्री शरद यादव : महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो ऑनलाइन एडमिट कार्ड दिए गए हैं, उनको तत्काल वापस लिया जाए। एडमिट कार्ड वापस लेने के बाद ही इस कमेटी का काम शुरू हो, तभी इस कमेटी का कोई मतलब होगा। मैं आपसे इतना निवेदन ही करना चाहता हूं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: See, I have noted the names. My humble request is, seek clarifications only. Confine yourself only to two minutes. So, Shri Satish Chandra Misra. ...*(Interruptions)*... I am calling you. Your name is there. I have written all names.

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा (उत्तर प्रदेश) : मान्यवर, यह जो मुद्दा चल रहा है, इसे पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से आज बच्चे आंदोलित हैं। उनके ऊपर किस तरीके से कल बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया और वह भी तब जब उनको मजबूरी में सड़कों पर आना पड़ा था। जब उन बच्चों को यह लगा कि उनके साथ वायदाखिलाफी हो रही है, उनके साथ धोखा हो रहा है, तभी मजबूरी में वे सड़कों पर आए थे।

[श्री सतीश चन्द्र मिश्रा]

अभी ऑनरेबल श्री वेंकैया नायडु जी ने कहा कि इसको रीकंसिडर करने के लिए एक कमेटी बैठा ली गई है। मैं जानना चाहता हूं कि अगर कमेटी बैठा ली गई, वह इस मामले को कंसिडर कर रही है, तब आपको यह बयान देने में क्या दिक्कत हो रही है? माननीय मंत्री जी, आज जो एडमिट कार्ड जारी हो रहे हैं, आप उनको रोकने का काम करिए, जैसा माननीय श्री शरद यादव जी ने अभी कहा। अगर एडमिट कार्ड दे करके आपने कमेटी बैठाई है, तो शीघ्र ही इस पर आप कोई निर्णय ले लीजिए। यह जरूरी नहीं है कि बहुत अधिक समय लेकर वह कमेटी अपना निर्णय दे। अधिकतर कमिशन और कमेटीज सिर्फ इसलिए बैठाए जाते हैं, ताकि मैटर को डिफ्यूज कर दिया जाए और डिफ्यूज करने के बाद उसको एक कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया जाए। लेकिन यह ऐसा विषय नहीं है। हर घर और हर जगह से नौजवान लोग आपकी तरफ निगाह बढ़ाकर बड़ी उम्मीद से देख रहे थे कि आप उनका ख्याल रखेंगे। आज वे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, जो आज अपने इम्तिहान की तैयारी करते, अपने एग्जाम की तैयारी करते, आई.ए.एस. और आई.पी.एस. की तैयारी करते। इसकी जगह आप उनको मजबूर कर रहे हैं कि वे सड़क पर खड़े हो करके आंदोलन पर उतरें।

जिस तरह का सिस्टम आपने रखा हुआ है, आप स्वयं जानते हैं कि इन एग्जाम्स में किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है। एक जो कॉन्वेंट स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा होता है और दूसरा, जो हिन्दी स्कूल से पढ़कर आया होता है, उनमें किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता है, यह बात आपको अच्छे तरीके से मालूम है। आपने इस विषय को खत्म नहीं किया, बल्कि इसे डिफ्यूज करने की जगह और बढ़ाने के लिए एडमिट कार्ड को ऑनलाइन डाल दिया और इस तरह पूरे देश को आंदोलन में डाल दिया। ...(**समय की घंटी**)... मेरा आपसे निवेदन यह है कि आप इसको तुरंत रोकें। इसके साथ ऑनलाइन एडमिट काड्र्ज को कैंसिल करवा करके इस कमेटी से कहिए कि वह तीन दिन में ही अपना निर्णय दे।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Okay. Please.

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा : इसके लिए आप उन बच्चों को भी बुलाइए, उनकी बात भी सुनिए। उनकी बात सुन करके आप एक ऐसा निर्णय लीजिए, जो सबको मान्य हो और जिससे उन बच्चों को सुकून प्राप्त हो और उन बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके।

श्री नरेश अग्रवाल (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभापति जी, मैंने 'बेरोजगार' शब्द इस कारण कहा था, क्योंकि माननीय मंत्री ने पिछले बार लड़कों को बयान दिया था और यह कहा था कि हम एक हफ्ते में इस विवाद को समाप्त कर देंगे, क्योंकि इन्हें उम्मीद थी कि जो कमेटी बैठी है, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। कल जो घटना घटी, उसकी जिम्मेदारी सरकार की है, इन लड़कों की नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सरकार कहीं मजबूर दिखाई दे रही है।

श्रीमन, देश के साथ यह बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। यह सिर्फ हिन्दी का ही सवाल नहीं

है, रीजनल लैंग्वेज का भी है। देश की जो सारी रीजनल भाषाएं हैं, चाहे वह बंगाल की हो, तमिलनाडु की हो या आन्ध्र प्रदेश की हो, सबके लड़कों की यू.पी.एस.सी. एग्जाम में क्या स्थिति आ रही है? शरद जी ने भी बताया, उन्होंने एक-एक आंकड़े दिए। आपके एम.पी. मनोज तिवारी जी उन लड़कों के बीच में गये। वे लोग सभा के सदस्य हैं। उन्होंने वहां जाकर खुलेआम आश्वासन दिया कि आप लोग हड़ताल तोड़ दीजिए, हम जिम्मेदारी लेते हैं, हमारी सरकार है और ये एग्जाम्स तब तक नहीं होंगे, जब तक रीजनल लैंग्विजेज एलाउ नहीं की जाएंगी। तब उन लड़कों ने हड़ताल तोड़ दी। अब क्या बात हो गई? वे आपके एम.पी. हैं। डा. जितेन्द्र सिंह जी आपके मंत्री हैं, इन्होंने खुद पिछली बार बयान दिया था। आज फिर ये मजबूरी का बयान देने जा रहे हैं। तभी मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी को बुलाइए या इस पर लीडर ऑफ दि हाउस बोलें।

श्रीमन्, यह मान लीजिए कि अगर आपने *status quo* नहीं किया और जो एडमिट कार्ड निकले हैं, अगर उन्हें आपने नहीं रोका, अगर आप मजबूरी दिखाते रहे तथा आपने अगर सरकार को कमजोर दिखाने की बात की, तो यह आन्दोलन पूरे देश में होगा। आप गलतफहमी निकाल दीजिएगा, क्योंकि यह पूरे देश का सवाल है। यह सिर्फ हिन्दी भाषियों का सवाल नहीं है। उस आन्दोलन की जिम्मेदारी आपकी होगी। आपके दल के सदस्य भी इस बात को जानते हैं कि अगर क्षेत्रीय भाषाओं का उपहास किया जाएगा, तो नरेन्द्र मोदी जी ने ओथ लेने के बाद जो कहा था कि वे हिन्दी को प्राथमिकता देंगे और उन्होंने जो डायरेक्शन दी है कि हमारी सरकार हिन्दी में काम करेगी, तो वह डायरेक्शन बेकार हो गयी।

माननीय मंत्री जी, मेरी एक ही मांग है। हम लोगों के यहां मजिस्ट्रेटी जांच होती है। कोई मामला डायल्यूट करना हो तो मजिस्ट्रेटी जांच पर टाल दीजिए। लेकिन आप यह मामला कमेटी पर न टालिए या मजिस्ट्रेटी जांच की बात न बताइए। आप आज स्पष्ट ऑर्डर दे दीजिए कि इसे रोका जाता है, जब तक फाइनल डिसीजन नहीं होगा। कमेटी भी बैठी है। आप फौरन एडमिट कार्ड रिजेक्ट कीजिए और उनको इंस्ट्रक्शन दीजिए। आप सरकार हैं और वह यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन है। हमसे लोग पूछ रहे हैं कि कैसे होगा? ...(**समय की घंटी**)... सरकार हमने भी चलाई है, जानते हैं कि कैसे होता है। सरकार तो सरकार होती है। क्या सरकार से कोई लड़ पाया है? मैं चाहूंगा कि स्पष्ट आंसर मिले, नहीं तो श्रीमन्, सदन नहीं चलेगा, यह मैं आपसे कह देता हूं। मैं तकलीफ के साथ इस बात को कह रहा हूं।

श्री उपसभापति : धन्यवाद। श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी। ...(**व्यवधान**)...

शहरी विकास मंत्री; आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री, तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वेंकैया नायडु) : सर, ...(**व्यवधान**)... ये कह रहे हैं कि सदन नहीं चलेगा। ...(**व्यवधान**)... यह आज का विषय नहीं है। मैं उसमें नहीं पड़ना चाहता हूं। ...(**व्यवधान**)... यह कब से शुरू है, यह आपको बाद में मालूम पड़ेगा। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Minister, don't intervene now, please. You may reply in the end. ...*(Interruptions)*...

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (मध्य प्रदेश) : उपसभापति जी, हम संवैधानिक रूप से 1947 में आजाद हो गए थे, लेकिन वह आजादी आज भी अधूरी है। किसी सम्प्रभु राष्ट्र को, किसी स्वाभिमानी राष्ट्र को, अपनी भाषा में काम करने का अवसर न हो, छूट न हो और हमने इतने वर्षों बाद आज भी एक विदेशी भाषा पर, उसकी बैसाखियों पर सवारी करते जाएं, हमारे लिए इससे ज्यादा शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या होगी?

श्रीमान्, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि ...(**व्यवधान**)... मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, please listen. ...*(Interruptions)*...

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : सर, भारत के राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Javadekar, please don't talk like that. ...*(Interruptions)*... Mr. Minister, please don't talk like that. ...*(Interruptions)*...

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : श्रीमन्, भारत के राजभाषा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस देश की केन्द्र सरकार की सभी संस्थाओं में ...(**व्यवधान**)...

श्री विजय गोयल (राजस्थान) : तब आप क्या कर रहे थे? ...(**व्यवधान**)... आपकी ही सरकार ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Vijay Goel, Please. ...*(Interruptions)*... We don't have the time. ...*(Interruptions)*...

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : एक मिनट, एक मिनट। ...(**व्यवधान**)... आप मुझ पर भरोसा रखिए। मैं सक्षम हूं। विजय भाई, अगर आप इस तरह से बीच-बीच में बात करेंगे, तो आपके यहां से भी बोलने वाले खड़े होने वाले हैं, आप इसे याद रखिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : प्लीज। ...(**व्यवधान**)... आप बोलिए।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : महोदय, राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत हमने यह प्रावधान किया है, हमने इसी संसद से कानून पारित किया है, और यह प्रावधान किया है कि भारत सरकार की सेवाओं में आने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए हिन्दी में काम करना अनिवार्य होगा। हमने उसके लिए इस देश का अलग-अलग राज्यों में, अलग-अलग श्रेणियों के राज्यों में विभाजित करके लक्ष्य निर्धारित किए हैं। हिन्दी अकेली नहीं है। हिन्दी हमारी राजभाषा है। हमने कानून बनाया है, उसका सम्मान हो, यह अपनी जगह है, लेकिन इस देश की तमाम भारतीय भाषाएं और भी हैं। तमिल, तेलुगु, गुजराती, असमिया, बांग्ला, पंजाबी, मराठी आदि हैं, ये सभी हमारी भाषाएं हैं हमारे देश में विभिन्न प्रांतों में विभिन्न भाषा-भाषी लोग रहते हैं। क्या उनको अपनी भाषा में कामकाज करने का

अधिकार नहीं होना चाहिए? आज भी अदालतों में और सरकारी दफ्तरों में उसी भाषा में काम होगा, जो विदेशी भाषा है? इस बात के लिए हमारा राष्ट्र गौरव कहां चला गया? हम आज यही पूछना चाहते हैं कि वे बच्चे, जो भारत सरकार की सेवा में अपना चयन कराने के लिए परीक्षा दे रहे हैं, उनकों हिन्दी में जवाब लिखने का अधिकार नहीं है? आज अंग्रेजी में जवाब लिखना अनिवार्य बना दिया गया है, इससे अन्य भारतीय भाषाओं की भी उपेक्षा हो रही है। माननीय मंत्री जी ने जाकर उन्हें आश्वस्त किया था कि जब तक इसका समाधान नहीं हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन नहीं हो जाएगा, तब तक हम यू.पी.एस.सी. की परीक्षाएं घोषित नहीं होने देंगे।...(**समय की घंटी**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That's okay. ...*(Interruptions)*... Time is over. ...*(Interruptions)*...

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : उसके बाद अभी यू.पी.एस.सी. ने परीक्षा घोषित कर दी। माननीय मंत्री जी यह बताएं कि वह कब तक यानी किस तारीख तक इस समस्या का समाधान खोजेंगे और विद्यार्थियों को भारतीय भाषाओं सहित हिन्दी में अपनी परीक्षा देने का अधिकार कब मिलेगा?

SHRI DEREK O'BRIEN (West Bengal): Sir, on the Minister's statement, I have three quick points to make. This country is so great that even though English is my mother tongue, I first learnt to speak in Bengali by choice. Now, I have three quick points. First to the Minister, through you, Sir, please stop this television beatification of Parliament. If statements on serious issues have to be made, we urge the Minister to make those statements on the floor of Parliament. But the Minister has done this before on some other issue concerning three numbers — I will not get into that — but those statements should be made on the floor of Parliament, not to television studios. He can make it later. Secondly, my own leader, Mamata Banerjee, has shown the way where when it comes to Railway exams, people were given the opportunity to write those exams in a language they are comfortable in. Sir, this is not an issue of English versus Hindi, certainly not. This is an issue regarding all the languages. In the campaign of the BJP before the election, we heard a lot about connecting with the youth of India. If you really want to connect with the youth of India, reconnect and do it now, maintain status quo because young people around the country are watching you, are watching us. We need to act on their behalf; we need to act now.

SHRI S. MUTHUKARUPPAN (Tamil Nadu): Sir, the Civil Services Examination is conducted by the Union Public Service Commission. It is conducted in three stages

[Shri S. Muthukaruppan]

— one is the preliminary examination, another one is main examination and the third is the interview. The preliminary examination is a written examination, either in Hindi or English. So far as the main examination is concerned, it is allowed to write in Hindi or English or other regional languages also. So far as the preliminary examination is concerned, only two languages, that is Hindi or English, are allowed. As a result, regional language students who want to write in Tamil, Malayalam, Kannada, Telugu and so on, are reduced or filtered in preliminary examination. So far as my party is concerned, the preliminary examination of the Union Public Service Commission should be allowed to be written in regional languages, especially in Tamil, because this will attract more students all over the States, including Tamil Nadu. So, students will get more chances. Furthermore, Sir, the preliminary examination has two papers — one is General Studies and another one is the Civil Service Aptitude Test. These two tests should be conducted in regional languages. So far as AIADMK and Tamil Nadu is concerned, we have two-language policy — one is Tamil and another is English. Preliminary examination must be allowed to be written in regional languages including Tamil. Thank you.

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभापति महोदय, यू.पी.एस.सी. की परीक्षाओं में भारतीय भाषाओं के इस्तेमाल के संबंध में छात्रों की जो मांग है, हम समझते हैं कि वह मांग जायज है। आज जिस तरह से इस मुद्दे को लेकर पूरे देश में हमारे नौजवानां में आक्रोश है, गुस्सा है, वह भी जायज और हमें इस बात की भी खुशी है कि सरकार ने उसको बहुत संवेदनशीलता के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ लिया है। उपसभापति महोदय, कोई भी भाषा, चाहे वह हिन्दी हो, उर्दू हो, मराठी हो, गुजराती हो या बंगाली हो, जितनी भी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उनके आधार पर हम मेरिट-डिमेरिट का हिसाब-किताब नहीं कर सकते, लेकिन अफसोस की बात है कि आज हमारी मेरिट और डिमेरिट भाषा के आधार पर तय होती है। अगर हम अंग्रेजी बोल रह हैं तो बहुत काबिल हैं और अगर हम क्षेत्रीय भाषाएं बोल रहे हैं तो हम जाहिल हैं। यह जो एक चलन और चोंचला है, इस पर कहीं न कहीं रोक लगनी चाहिए। अंग्रेजी से दुश्मनी नहीं है। अंग्रेजी जरूरी है और यह कम्युनिकेशन की एक भाषा है, लेकिन जो क्षेत्रीय भाषा है, वह हमारे दिल, दिमाग और शरीर में बसी हुई है, उसमें हमारी मिट्टी की सुगंध है, इसलिए हमें उसके साथ न्याय करना चाहिए। यह बात सही है कि इस सरकार का एक महीना हुआ है, करे कोई भरे कोई वाली स्थिति है। जो कुछ आप करके गए, उसको हमें भरना पड़ रहा है। सत्यव्रत जी ने जो कहा, उनकी बात से मैं सहमत हूं। अगर इतनी ही जोर से उस समय जब आप सरकार में थे यह कहते कि छात्र जो कह रहे हैं और यू.पी.एस.सी. में क्षेत्रीय भाषाओं की जो बात हो रही है, वह बिल्कुल सही है, उसे जायज हक मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए ...(**व्यवधान**)...

جناب مختار عباس نقوی (اتر پردیش) : مانئے اپ سبھا پتی مہودے، یو.پی.ایس.سی. کی پریکشاؤں میں بھارتی بھاشاؤں کے استعمال کے سمبندھ میں چھاتروں کی جو مانگ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مانگ جائز ہے۔ آج جس طرح سے اس مدّعے کو لے کر پورے دیش میں ہمارے نوجوانوں میں آکروش ہے، غصہ ہے، وہ بھی جائز ہے اور ہمیں اس بات کی بھی خوشی ہے کہ سرکار نے اس کو بہت سنویدنشیلتا کے ساتھہ، بہت ایمانداری کے ساتھہ لیا ہے۔

اپ سبھا پتی مہودے، کوئی بھی بھاشا، چاہے وہ ہندی ہو، اردو ہو، مراٹھی ہو، گجراتی ہو یا بنگالی ہو، جتنی بھی علاقائی بھاشائیں ہیں، ان کے آدھار پر ہم میرٹ، ڈی-میرٹ کا حساب کتاب نہیں کر سکتے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہماری میرٹ اور ڈی-میرٹ بھاشا کے آدھار پر طے ہوتیہے۔ اگر ہم انگریزی بول رہے ہیں تو بہت قابل ہیں اور ہم ان علاقائی بھاشائیں بول رہے ہیں تو ہم جاہل ہیں۔ یہ جو ایک چلن اور چونچلا ہے، اس پر کہیں نہ کہیں روک لگنی چاہئے۔ انگریزی سے دشمنی نہیں۔ انگریزی ضروری ہے اور یہ کمیونی کیشن کی بھاشا ہے، لیکن جو علاقائی بھاشا ہے، وہ ہمارے دل، دماغ اور شریر میں بسی ہوئی ہے، اس میں ہماری مٹّی کی سگندھ ہے، اس لئے ہمیں اس کے ساتھہ نیائے کرنا چاہئے۔ یہ بات صحیح ہے کہ اس سرکار کا ایک مہینہ ہوا ہے، 'کرے کوئی بھرے کوئی' والی حالت ہے۔ جو کچھہ آپ کرکے گئے، اس کو ہمیں بھرنا پڑ رہا ہے۔ ستیہ ورت جی نے جو کہا، ان کی بات سے میں سہمت ہوں۔ اگر اتنی ہی زور سے اس وقت جب آپ سرکار میں تھے یہ کہتے کہ چھاتر جو کہہ رہے ہیں اور یو.پی.ای.سی. میں علاقائی بھاشاؤں کی جو بات ہو رہی ہے، وہ بالکل صحیح ہے، اسے جائز حق ملنا چاہئے، نیائے ملنا چاہئے ...(مداخلت)...

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : हम हमेशा यह बात कहते रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी : आप कहते हैं, लेकिन तब भी आप यही कहते ...(**व्यवधान**)...

†Transliteration in Urdu Script.

† **جناب مختار عباس نقوی :** آپ کہئے ہیں، لیکن تب بھی آپ یہی کہئے ...(مداخلت)...

श्री सत्यव्रत चुतर्वेदी : आप भी छः साल सरकार में रहे, ...(**व्यवधान**)... हमने नहीं किया तो आप कर देते। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : सत्यव्रत चतुर्वेदी जी, आप बैठिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी : आप कहते रहे, आपकी बात नहीं चली। कम से कम हम कह रहे हैं, देखते हैं चलती है या नहीं। ...(**व्यवधान**)... उपसभापति महोदय, मुझे पूरा विश्वास है और पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से माननीय मंत्री जी ने क्षेत्रीय भाषाओं के बारे में, क्षेत्रीय भाषाओं को जायज हक दिलाए जाने के बारे में, यू.पी.एस.सी. इग्जामिनेशंस में उनकी प्राथमिकता के बारे में 18 जुलाई को बयान दिया था, उसी तरह से माननीय मंत्री जी और यह सरकार इस दिशा में प्रभावी कदम उठाएगी। यह केवल छात्रों की मांग नहीं है, बल्कि यह देश की चाहत है और देश की मांग है कि हमारी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए।

† وشواس ہے اور پوری امید ہے کہ جس طرح سے مانئے منتری جی نے علاقائی بھاشاؤں کے بارے میں، علاقائی بھاشاؤں کو جائز حق دلانے جانے کے بارے میں، یو پی۔ایس۔سی۔ ایگزامنیشنس میں ان کی پراتھمکتا کے بارے میں 18 جولائی کو بیان دیا تھا، اسی طرح سے مانئے منتری جی اور یہ سرکار اس دشا میں پربھاوی قدم اٹھائے گی۔ یہ صرف چھاتروں کی مانگ نہیں ہے، بلکہ یہ دیش کی چاہت ہے اور دیش کی مانگ ہے کہ ہماری جو علاقائی بھاشائیں ہیں، ان کو نیائے ملنا چاہئے۔

SHRI TAPAN KUMAR SEN (West Bengal) : Mr. Deputy Chairman, Sir, मेरा यही कहना है कि समस्या आज पैदा नहीं हुई है, बल्कि over a period of time यह accumulate होते-होते इस जगह तक पहुंची है। I rememebr that I have written to DoPT Minister, at least, four times. मैंने सारी डिटेल्स देते हुए उनको यह लिखा कि रीजनल लैंग्वेजेज का पार्टिसिपेशन कैसे घट रहा है and not only of regional languages, minority का पार्टिसिपेशन भी UPSC process में घट रहा है। And, latest letter's copy was also marked to the Minority Affairs Minister sitting over here. I checked up with her and found that it had been referred to th DoPT, लेकिन यह नहीं हुआ। आज इसमें यह blame game करने कोई फायदा नहीं कि आपने नहीं किया, आपने नहीं किया, बल्कि यह नहीं हुआ। It is because of the paculiar pro-corporate elitist paradigm, जो हमारी सारी पॉलिसी में चल रहा है तथा देश की आम गरीब जनता उसका शिकार है तथा इस ब्यूरोक्रेसी और ऐडमिनिस्ट्रेशन को एक elitist monopoly बनाते हुए वह कॉर्पोरेट्स और पैसे वालों के फेवर में चलता है।

†Transliteration in Urdu Script.

There must be a brake on this. I welcome that the people came on the street and agitated and it came to the notice of Government. The Government has decided to appoint a Committee. I must say that action must start now. Now, as you have appointed a Committee, please examine it, लेकिन उसके साथ-साथ इस पर एक्शन होना जरूरी है कि अभी इसके इग्जाम्स बंद कीजिए। यह मैसेज सबके पास जाना जरूरी है कि the Parliament and the Government are sensitive towards this most sensitive issue of the people. आप इग्जाम्स बंद कीजिए, एडमिट काड्र्स इश्यू करना बंद कीजिए और जैसा कि शरद जी ने कहा यह ऑनलाइन वाला चक्कर भी बंद कीजिए। Let a decision be taken and then whole exam process be put in motion. Only by that way, it can be done. I think, again, the basic issue is that we need to liberate ourselves from this pro-corporate elitist paradigm. It will eat away the vitals of our nationality and the economy.

श्री प्रेम चन्द गुप्ता (झारखंड) : उपसभापति महोदय, यू.पी.एस.सी. के एक्जाम्स में हिन्दी भाषी छात्रों के साथ किया जा रहा भेदभाव बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

मान्यवर, दुनिया के हर देश में वहां की भाषा को प्राथमिकता दी जाती है। आप चीन में जाएंगे तो वहां साइन-बोड्र्स पर ऊपर चाइनीज में लिखा होगा और नीचे अंग्रेजी में लिखा होगा क्योंकि अंग्रेजी पढ़ाया जाना भी जरूरी है। आप फ्रांस में जाएं, जर्मनी में जाएं, आप किसी भी मुल्क में चले जाएं, वहां वे अपनी मातृभाषा को/क्षेत्रीय भाषा को प्राथमिकता देते हैं। मान्यवर, केवल हमारे देश में ऐसी स्थिति है कि अंग्रेजी बोलने वालों को विद्वान समझा जाता है और, जैसे श्री मुख्तार अब्बास नक़वी साहब ने कहा कि हिन्दी बोलने वालें को जाहिल समझा जाता है।

मान्यवर, अभी देश के प्रधानमंत्री ब्राजील गए, उन्होंने हिन्दी में बात की। यह पूरे देश के लोगों को अच्छा लगा कि वहां प्रधान मंत्री भी हमारी मातृभाषा में बोले। यह भी पता चला है कि माननीय प्रधानमंत्री जी युनाइटेड नेशंस में हिन्दी में बोलेंगे। यह जानकर भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन अपने देश में हिन्दी के प्रति जो दुर्भावना है, उसके लिए क्या किया जाए? महोदय, यह एक मानसिकता है जिसे ठीक करने की आवश्यकता है। अभी नरेश अग्रवाल जी ने कहा कि यह एक चिंगारी है। मंत्री महोदय, अगर आप इसे ठीक से हैंडल नहीं करेंगे तो खाली यहां बात करने से काम नहीं चलने वाला है। यह चिंगारी और फैलेगी जो हम सब के लिए ठीक बात नहीं है।

मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस संबंध में कमेटी बिठाने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग कमेटी में बैठे हैं, उनकी अपनी मानसिकता है। आप देश की मानसिकता को समझिए और इस चीज को इमीडिएटली करैक्ट कीजिए और जैसा हमारे नेता शरद यादव जी ने कहा इस चीज को तुरंत इम्प्लीमेंट करवाइए। धन्यवाद।

SHRIMATI KANIMOZHI (Tamil Nadu): Mr. Deputy Chairman, Sir, this issue actually is a very serious issue. Sir, senior leader, Sharad Yadav ji, has also shared some data with the House. Sir, in 2010, 122 candidates from Tamil Nadu were successful in the CSAT exam but, in 2011, this number fell down to 68. It is not just the case of Tamil

[Shrimati Kanimozhi]

Nadu, it is the case of many other States where other regional languages are spoken. You cannot leave out such a large portion of the country thereby denying them the right to represent them to run the country as civil servants. The changes which have been brought about now actually help students belonging to creamy layers only, because it helps students who are fluent in English, and, of course, students who are fluent in Hindi. When it comes to States like Tamil Nadu, many of the students who come from rural areas find it difficult in these circumstances to write these exams because they are not that comfortable either in English or in Hindi. So, many of the students are left behind and their aspirations are all killed because of these language issues. It is a very sensitive issue, and, on 12th March, 2013, our leader, Dr. Kalaignar, also wrote to the then Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, that regional languages also have to be considered and taken into consideration when these exams are conducted. Translation, if not in all the languages, at least, should be done according to the language of the State. For example, if an exam is going to be conducted in Tamil Nadu, the question paper should also be in Tamil language and the students should be allowed to write the exam in Tamil. Same should be the case for Kerala or other States, which do not speak Hindi. We have to take this feeling into consideration.

Sir, in Tamil Nadu, we have a two-language system. We speak Tamil, we write Tamil, and, English is also taken into account. It is very difficult for students to be forced to write in other languages in which they are not comfortable. Sir, we are part of India, I think, we have a right to be the part of those who govern this country. So, students who come from rural areas in Tamil Nadu and students who come from not so well-off background, who have not been sent to English-medium schools cannot be left behind, and, their aspirations cannot be killed. ...*(Time-bell rings)*... So, changes have to be made ...*(Time-bell rings)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Please take your seat.

SHRIMATI KANIMOZHI: and, I think, the Government cannot work on such language divide. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Now, Shri D. Raja.

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Sir, the notification issued by the Union Public Service Commission has, in fact, created uproar all over the country. This notification needs to be reconsidered and withdrawn. Government must be prepared. Sir, language is a very sensitive issue. Language can unite people; language can divide people also. So, Government should tread very cautiously. It should advise the Union Public Service

Commission to tread cautiously. As many Members have suggested, as far as Civil Services Exams are concerned, in the Preliminary, there must be an option for those students or it must be made mandatory that the mother tongue should be given the priority. All those who speak their languages must be given the opportunity to write the exams in their own languages. I suggest that the languages in the Eighth Schedule should be allowed for the Preliminary Exams. There must be a level-playing field for all the languages. It should not tilt towards English or it should not tilt towards Hindi also. We all should keep in mind the assurance given by Pandit Jawaharlal Nehru on the language policy. Right now, to face the present situation, I think that UPSC notification needs to be reconsidered and withdrawn. All the regional languages should be given a level-playing field. I don't want to call them regional languages. They are all our languages, Indian languages, and every part should feel as part of the whole. Subramanya Bharathi is a part of our psyche. We hail from Tamil Nadu. ...*(Time-bell rings)*... He only said that in mother India 18 languages are spoken but our thinking is one. ...*(Time-bell rings)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is okay.

SHRI D. RAJA: If that is so, I think, the Government should ask the UPSC to withdraw the notification ...*(Time-bell rings)*... and Government should give due attention to this issue.

DR. K. KESHAVA RAO (Andhra Pradesh): Sir, I hope the Government understands the concern of the House which is nothing but a concern of the nation. They have been on agitation for the last two weeks. More so, yesterday you have witnessed the violent turn of the entire event. Sir, I don't want to confuse or add to the tension. All that we are seeking is to defuse the situation. Number one, since you want to study it, it is not a new thing that you are doing. Nigvekar Committee Report is right with you. It has suggested to you all the methods. I do not know why you are sleeping over it. This is a serious study. Anyhow, since you are studying, let us not continue with the process that we have already taken up. Let us stop issuing of the hall tickets which have been uploaded yesterday. That will certainly defuse the situation. I am just coming from them. They have met me and I have asked them to meet you in the afternoon. Sir, the question is not English versus Hindi. It is about a particular passage of English versus all the languages in the country. It is not that they are not allowed to write in our own examination, as far as UPSC is concerned. We are allowed to write in any regional language we like. But two papers have been introduced since 2012. In the name of CSAT, Civil Services Aptitude Test, in place of testing the aptitude of the candidate, you are giving English passage and trying to test the aptitude of the candidate. What all the regional language candidates or Hindi language

[Dr. K. Keshava Rao]

candidates are seeking is, give the passage in Hindi so that we understand that and give you our aptitude, our initiatives. That is all that they are asking. What they are asking is a level-playing ground for them. Actually speaking, Mr. Sharad Yadav*ji* had given a list. We are asking for a level-playing field. The regional language boys, particularly from the tribal areas, have studied in their own language. Let them understand it in their own language. Once they assimilate what is written, then let them come and give their aptitude. What you are trying to ask is in English and again you are asking them to tell you their aptitude in English. This is what they are exactly doing. I don't want to add. Let the experts look into it. Nigvekar Report is with you. Please meet the boys. They are brilliant boys of this country. They are appearing for Civil Services. Let us not confuse the issue. It is about two subjects that have been introduced. What I request the Minister to do is this. One, please stop this uploading of hall ticket. And see that whatever Committee you have appointed to look into this gets into action. Thank you very much, Sir.

श्री बैष्णव परिडा (ओडिशा) : सर, भारत के लिए यह एक बहुत गंभीर समस्या है। हम लोगों ने भारत के स्वाधीनता संग्राम में देशवासियों के सामने वायदा किया था कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश का शासन भारतीय भाषाओं में होगा, जनता की भाषा में जनता का शासन होगा, लेकिन 1947 से आज तक, हम लोगों ने देश में क्या हालत क्रिएट कर दी है? गांधी जी बोलते थे कि अंग्रेजियत को छोड़ो, लेकिन उस अंग्रेजियत को सहन करते-करते आज हम इस समय में आ गए हैं।

महोदय, यह सिर्फ यू.पी.एस.सी. की बात नहीं, सेंटर की बात नहीं है। मेरे राज्य ओडिशा में, ओडिशा ऐडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एक्जाम ओडिया भाषा में नहीं होने दिया जा रहा है and Odisha perhaps is only State in India, जहां पर प्रशासनिक काम ओडिया में नहीं होता है, बल्कि अंग्रेजी में होता है। ओडिशा की लोक प्रशासनिक सेवा आदि की जानकारी जनता को ओड़िया भाषा में नहीं मिलती है, अभी भी सब काम अंग्रेजी में होता है। 1954 में श्री नवकृष्ण चौधरी जब ओडिशा के चीफ मिनिस्टर थे, तब उन्होंने वहां Official Language Act पास किया था and at that time the same thing happened in other States also. English was replaced with local languages, किन्तु ओडिशा में जो ऐक्ट पास हुआ था, वह अभी तक कार्यान्वित नहीं हुआ। इसलिए ओडिशा में हमने एक आंदोलन शुरू कर दिया है। वह दो साल से चल रहा है कि ओड़िया भाषा मर रही है, unless you use the language, it will die. If the language dies, your identity will also die. हम ओडिशा के हैं, because we speak Odiya. तो हमारी लैंग्वेज जब मर जाएगी ...(**समय की घंटी**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN : You better take it up in Odisha. You better take it up in Odisha.

श्री बैष्णव परिडा : तो हमारी आइडेंटिटी नहीं रहेगी और ...(**व्यवधान**)... इसलिए सेंटर से लेकर स्टेट तक सब प्रशासनिक कामकाज ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Why don't you take it up in Odish? Please sit down. Your time is over.

श्री वैष्णव परिडा : सब कामकाज अपनी लैंग्वेज में होना चाहिए, यही मेरी कहना है, धन्यवाद।

श्री रामदास अठावले (महाराष्ट्र) : डिप्टी चेयरमैन साहब, 2011 में यू.पी.एस.सी. ने CSAT इंट्रोड्यूस किया , तो कौन सी भाषा में पेपर लिखना है, यह उसका विषय नहीं है। विषय यह है कि जिन स्टूडेंट्स ने मराठी में, हिन्दी में, तमिल में या अपनी लोकल लैंग्वेज में ग्रेजुएशन किया है, जो एक्जाम में बैठने वाले हैं, ऐसे स्टूडेंट्स, 2011 में CSAT लगाने के बाद यू.पी.एस.सी. में फेल हो रहे हैं और उनकी संख्या कम होती जा रही है। जिन स्टूडेंट्स ने इंग्लिश में ज्यादा पढ़ाई की है, जो आई.आई.टी. से आए हैं या जिन्होंने ऊंची शिक्षा प्राप्त की है, ऐसे स्टूडेंट्स उसमें ज्यादा पास हो रहे हैं। इसके लिए सरकार ने तीन लोगों की कमेटी बनाई है। महोदय, प्रधान मंत्री जी हिन्दी भाषा को ज्यादा प्रोत्साहन देते हैं और सभी भाषाओं के प्रति हमारा आदर है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई की है, वे ज्यादा फेल हो रहे हैं, इसलिए स्टूडेंट्स आंदोलन कर रहे हैं और कल उन पर लाठीचार्ज भी हुआ है, इसलिए सरकार से मेरा निवेदन यह है कि यह कमेटी का मामला बहुत खतरनाक होता है, खतरनाक मतलब उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है - जो ये कमिशन या कमेटियां होते हैं। हमारी सरकार तो फटाफट निर्णय लेने वाली है। इन्होंने जो गलतियां की हैं, उनको सुधारने का काम हमारे ऊपर आ गया है। डा. मनमोहन सिंह के प्रति हमारा बहुत आदर है, यह निर्णय उनके कार्यकाल में हुआ, लेकिन अब यह हमारी सरकार की जिम्मेदारी है, इसलिए यह निर्णय कैंसिल करके, CSAT को कैंसिल कर दीजिए, ताकि लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा आई.ए.एस., आई.पी.एस. बन सकें। मेरी मंत्री जी से इतनी ही मांग है कि इस निर्णय को आज, अभी अनाउंस कर दीजिए और कमेटी की बात मत कीजिए, क्योंकि यह कमेटी आपको बरबाद कर देगी।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Next is Mr. Vijay Goel. ...*(Interruptions)*... I would call you. Before that I have three names. I would call you. ...*(Interruptions)*... Sit down. ...*(Interruptions)*... I know that. ...*(Interruptions)*... Don't question. ...*(Interruptions)*... Now, Mr. Vijay Goel.

श्री विजय गोयल : उपसभापति महोदय, संघ लोक सेवा आयोग, यू.पी.एस.सी. की प्रारंभिक प्रीलिमिनरी परीक्षा को लेकर हिन्दी और भारतीय भाषाओं की जो उपेक्षा हो रही है, उसके संबंध में जो लोग आन्दोलन चला रहे हैं, मैं उनकी तारीफ करना चाहता हूं। यह केवल इसी परीक्षा की बात नहीं है। आप इस पार्लियामेंट के अंदर, हाउस के अंदर देख लीजिए, हम सब लोग हिन्दी या प्रादेशिक भाषा में भाषण देकर चुनाव जीतकर आते हैं, लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा स्पीचिज़ जो होती हैं, वे इंग्लिश भाषा में होती हैं। उन बच्चों ने सारे देश का ध्यान इस बात की ओर दिलाया है कि यू.पी.एस.सी. के अंदर जो भेदभाव हो रहा है, इसको समाप्त किया जाना चाहिए। सरकार ने

[श्री विजय गोयल]

Suo-motu स्टेटमेंट देकर इस बात को साबित किया है कि सरकार इस संबंध में बहुत संवेदनशील है। महोदय, 2010 तक केवल दो पेपर होते थे, जनरल स्टडीज़ और स्पेसिफिक सब्जेक्ट का, जिसमें 23 सब्जेक्ट्स में से कोई भी परीक्षार्थी अपना सब्जेक्ट चुन सकता था, लेकिन 2011 में जब CSAT सिविल सर्विसेज़ एप्टीट्यूड टैस्ट का एग्ज़ाम आया, उसके बाद यह समस्या खड़ी हो गयी। मुझे नहीं मालूम कि पिछले तीन सालों के अंदर जो यह आंदोलन चला और उसके बाद जो विरोधी पार्टी है, उन्होंने इसका क्या संज्ञान लिया, लेकिन अब उनकी दो मांगें हैं। पहली मांग यह है कि CSAT के अंदर जिस तरीके से इंग्लिश के क्वेशचंस आ रहे हैं, उनमें उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। दूसरी इंग्लिश से हिन्दी में जो ट्रांसलेशन किया जा रहा है, वह बड़ा क्लिष्ट है। जैसे हमारी राज्य सभा और लोक सभा में भी जो ट्रांसलेशन हिन्दी में होकर आता है, वह बड़ा कठिन और क्लिष्ट होता है। इस तरफ भी उन्होंने ध्यान दिलाया है। मेरा यह कहना है कि इसके ऊपर सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। यह समस्या इसलिए ज्यादा खड़ी हुई क्योंकि लोगों के घरों में एडमिट कार्ड आ गए। अब यह भी नहीं मालूम कि वे एडमिट कार्ड इसी समय पर आते हैं या इस बार जल्दी भेज दिए गए हैं। इसकी वजह से उन लोगों का आंदोलन तीव्र हो गया। ...(**समय की घंटी**)... मैं समझता हूं कि मंत्री जी जब अपना स्टेटमेंट देंगे, तब उसके अंदर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा और सारा सदन चूंकि इस पर साथ है, इसलिए इन विद्यार्थियों को जरूर राहत मिलेगी, इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Now, Mr. Mahendra Singh Mahra.

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (उत्तराखंड) : उपसभापति महोदय...

श्री नरेश अग्रवाल : सर, उनका दूसरा विषय है।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा : मेरा दूसरा नोटिस है।

श्री उपसभापति : इसके बारे में नहीं है तो आप बैठिए। Now, Dr. M.S. Gill.

DR. M.S. GILL (Punjab): Sir, this question of clarifications is essentially becoming a question of language. India is a Union of States. It is a union of many cultures, many languages and many ways of living life. In Nehru's time, we had put a happy balance on this question which is working so far. But, Sir, the reality is that there are 22 recognised Indian national languages. No language is prevalent over the whole country. Let us be clear. One language which is a big group which is Hindi. But, they are only a big group. If you go to Kerala, Assam or Tamil Nadu or Amritsar, you cannot talk to people in Hindi only. Yes, Hindi and Punjabi are close to each other. We can understand both. One thing should be clear. The point is, in each State, everybody is using his own language all over. There is no problem and that is the right way to do it. This is a union of many languages which we all want, we all worship and we all like. Let us not argue on that. Nobody worships it more here or more there. We are all equal in this. The question is: How do

you run the work of the Union? I am an IAS officer of the long past. How do you run the work of the Union or the Government of India? I cannot understand that. I sat for IAS examinations and I watched what was going on. I can't understand it if you have an exam in a vast number of languages. Then, you want the interview also in that language. Where are you going to find 500 UPSC Members to talk to, me in Punjabi. Sir, Punjabi will not be put on the back, nor will Tamil be, nor will Kannadiga be, nor will Assamese be, nor will Bengali be. They are as great as any other language. All are equally great. So, how are you going to do it? How do you moderate the selection? Is she better than me? Am I better than him? I do not know how they will do it. I am frankly mystified. Therefore, I have sympathy with the Minister. Please think hard and don't make any political points here. We can all make them.

Secondly, in running India we will all get our share. It is not that by some mechanism, as my friend, Mrs. Kanimozhi says, we will have predominance of people from one section ruling over us. If we don't have our English, Englishmen being Collectors, we don't want others also. We want a fair share. I look at Delhi share and Punjab share. I won't talk on it. But I know ...*(Interruptions)*... You can shout. I am not impressed. ...*(Interruptions)*...

श्री नरेश अग्रवाल : यह राजनैतिक मुद्दा नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा : सर, ये इसको पॉलिटिकल बना रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री नरेश अग्रवाल : सर, यह राजनैतिक मुद्दा नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

DR. M.S. GILL: They have to sit down. ...*(Interruptions)*... आप जितना मर्जी शोर करो। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your time is over. ...*(Interruptions)*...

DR. M.S. GILL: Sir, He has no business to disturb me. ...*(Interruptions)*... Mr. Deputy Chairman, Sir, he can't sit there and stop others from talking. ...*(Interruptions)*... He has to sit down. ...*(Interruptions)*... They can go on shouting. ...*(Interruptions)*...

श्री नरेश अग्रवाल : क्या कांग्रेस अंग्रेजी परस्त है? ...(**व्यवधान**)... क्या कांग्रेस अंग्रेजी चाहती है? ...(**व्यवधान**)...

डा. एम.एस. गिल : ये शोर करेंगे, हम नहीं मानेंगे। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: When both of you are talking, I can't understand what you are saying. ...*(Interruptions)*... आप लोग बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)...

श्री नरेश अग्रवाल : उपसभापति महोदय, यह राजनैतिक मुद्दा शब्द कार्यवाही से निकाला जाए। ...(**व्यवधान**)...

DR. M.S. GILL: Sir, this House does not belong to the people who are sitting in front of you. ...*(Interruptions)*... I can assure you. ...*(Interruptions)*... नरेश जी, आप मुझे लेक्चर नहीं कर सकते हैं। मैं आपको कभी नहीं करता हूं। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your time is over. Please sit down. ...*(Interruptions)*...

DR. M.S. GILL: Let him sit down.

श्री उपसभापति : आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)...

श्री नरेश अग्रवाल : उन छात्रों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ...(**व्यवधान**)... क्या कांग्रेस इसका विरोध कर रही है? ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN : You please sit down. The LoP wants to speak. ...*(Interruptions)*...

विपक्ष के नेता (**श्री गुलाम नबी आज़ाद**) : उपसभापति महोदय, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यहां पर जब ऑनरेबल मेम्बर्स बोलते हैं, तो अपने-अपने व्यूज़ बोलते हैं, यह कोई पार्टी का व्यूज़ नहीं है। Let it be clear. ...*(Interruptions)*...

† **قائد حزب اختلاف (جناب غلام نبی آزاد)** : اُپ سبھاپتی مہودے، مکں ایک بات واضح کردینا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جب آنریبل ممبرس بولتے ہیں، تو اپنے اپنے ویوز بولتے ہیں، یہ کوئی پارٹی کا ویوز نہیں ہے۔ لیٹ اِٹ بی کلئیر ...(مداخلت)...

श्री नरेश अग्रवाल : क्या आपने पार्टी का व्यू क्लियर कर दिया? ...(**व्यवधान**)...

डा. एम.एस. गिल : पार्टी का व्यू बाद में पूछना। ...(**व्यवधान**)... Sir, let me finish. ...*(Interruptions)*...

श्री गुलाम नबी आज़ाद : चीफ व्हिप ने जो बात अभी कही थी, वह पार्टी का व्यू है। ...(**व्यवधान**)...

† **قائد حزب اختلاف (جناب غلام نبی آزاد)** : چیف وہپ نے جو بات ابھی کہی تھی، وہ پارٹی کا ویو ہے۔ ...(مداخلت)...

†Transliteration in Urdu Script.

DR. M.S. GILL: Sir, I will just finish. ...*(Interruptions)*... He has no business to stop me.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your time is over. ...*(Interruptions)*... Everybody spoke for two minutes. Why do you want more time?

DR. M.S. GILL: I will speak. The point is ...*(Interruptions)*... If he is disturbing me, I will not sit. I am going to stand. ...*(Interruptions)*...

श्री नरेश अग्रवाल : उपसभापति महोदय, आज शुक्रवार है और तमाम सदस्य नमाज़ पढ़ने जायेंगे। आप मंत्री जी से जवाब दिलवा दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

डा. एम.एस. गिल : नरेश जी, राज्य सभा के ऊपर आपका हक नहीं है। ...(**व्यवधान**)... हक मिश्रा जी का भी है, हक मेरा भी है। नरेश जी, आपको मेरी बात भी सुननी पड़ेगी। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, please keep quiet. This subject is very important. I have a number of names. With me now there are half-a-dozen names; and other friends are raising their hands. There are only ten minutes. I think, we will stop now here. I will call the Minister to respond. ...*(Interruptions)*... I have half-a-dozen names. No, no. ...*(Interruptions)*... The Minister is to reply.

श्री शरद यादव : उपसभापति जी, माननीय मंत्री जी को बोलने दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा : माननीय मंत्री जी को बोलने दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री वी.पी. सिंह बदनौर (राजस्थान) : वे बोल चुके हैं ...(**व्यवधान**)... हमें बोलने दीजिए ...(**व्यवधान**)...

श्री किरनमय नन्दा (उत्तर प्रदेश) : मंत्री जी को बोलने दीजिए ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. That means we will sit 15 minutes extra. ...*(Interruptions)*... वी.पी. सिंह बदनौर जी बैठिए ...(**व्यवधान**)... Why do you say it? Everybody knows you? ...*(Interruptions)*...

श्री वी.पी. सिंह बदनौर : उपसभापति जी, सदन का जो भाव रहा है कि रीज़नल लैंग्वेजेज़ को इम्पोर्टेन्स मिले ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have not called you. I have asked you to sit down. Mr. Minister, please. ...*(Interruptions)*...

SHRI JESUDASU SEELAM (Andhra Pradesh): No, Sir. We have to speak. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down. ...*(Interruptions)*... Let the Minister reply. ...*(Interruptions)*...

SHRI JESUDASU SEELAM: We have to make our points. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have one dozen names. That is the problem. ...*(Interruptions)*...

श्री किरनमय नन्दा : मंत्री जी को बुलवाइए ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down. What can I do? I cannot accommodate all. ...*(Interruptions)*... I cannot accommodate all. ...*(Interruptions)*... मंत्री जी बोलिए ...(**व्यवधान**)...

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री; तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. जितेन्द्र सिंह) : माननीय उपसभापति महोदय, ...(**व्यवधान**)... इतनी उत्तेजना मत दिखाइए ...(**व्यवधान**)... हम उसी विषय पर बोल रहे हैं ...(**व्यवधान**)... Respected Deputy Chairman, Sir, I had the privilege of making a statement in this august House on the 18th of July and I stand before you today for the clarification following this discussion. मैंने ये सारी बातें बहुत ध्यान से सुनीं ...(**व्यवधान**)...

श्री शरद यादव : हिंदी में बोलिए ...(**व्यवधान**)...

डा. जितेन्द्र सिंह : मैं हिन्दी में बोलूंगा, अंग्रेजी में भी बोलूंगा, आप आदेश करेंगे तो तमिल में भी बोलूंगा ...(**व्यवधान**)...

एक माननीय सदस्य : डोगरी में बोलिए।

डा. जितेन्द्र सिंह : मैं डोगरी में भी बोलूंगा। मैं पंजाबी में, उर्दू में और कानीमोझी जी की तमिल में भी बोलूंगा। कहने का अर्थ यह है कि This is the House of Elders. I am here to learn from you and to obey you. मुझे अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सी बातें ध्यान में आ गईं। आपने याद दिलाया तो याद आया कि मैं बेरोजगार हो गया हूं, क्योंकि पहले डॉक्टरी किया करता था, पर यहां से बेरोजगार करेंगे तो कहीं का नहीं रहूंगा, इसलिए कृपा करके, थोड़ा समय देकर इतनी उदारता दिखाइएगा। अगर यह काम भी छूट गया तो कहां जाएंगे? फिर हमें भी उन्हीं बच्चों की तरह बैठना पड़ेगा ...(**व्यवधान**)... Mr. Deputy Chairman, Sir, at the outset, I just have to say that the Government is absolutely aware of what is happening. ऐसा नहीं है कि सरकार को चिंता नहीं है, सरकार को संवेदनशीलता और सहानुभूति है, We are looking at it with all the sympathy, all the seriousness and all the sensitivity at our command. यहां पर जो कुछ बातें आई हैं, मेरे ख्याल से उनमें बहुत अधिक विवाद नहीं है, लगभग सहमति है। क्योंकि मुझे यहां खड़े होकर आपको संबोधित करने का दायित्व दिया गया है और मेरा पिछले

1.00 P.M.

चार सप्ताह से, जब से यह आंदोलन चल रहा है, इन बच्चों के साथ दिन-रात बैठना है, इनसे संपर्क भी है, इसलिए मुझे इस पर थोड़ा शोध भी करना पड़ा, अध्ययन भी करना पड़ा कि आखिर यह विषय क्या है। इनमें कुछेक बातें हैं, जो बीच में छूट रही हैं। हुआ यह था कि सन् 2010 तक एक अलग पैटर्न चला करता था - मैं आपका थोड़ा समय लूंगा, इसमें कोई विवाद वाली बात नहीं है, एक preliminary exam होता था और दूसरा मेन। In the preliminary exams, we had two papers; one of 150 and the other one of 350. जो दूसरा था, उसमें लगभग 2250 अंकों का इम्तिहान होता था, जिसे आप मेन परीक्षा कहते थे। कहीं यह सोचा-समझा गया कि यह जो preliminary exam है, इसको थोड़ा-सा सरल बनाया जाए, It could be made a little more simplified in other words. इसके जो दो पेपर्स थे, दोनों परीक्षा पत्र 200-200 अंकों के कर दिए गए। जो मेन परीक्षा थी उसके नौ पेपर्स थे। कुल मिलाकर इसके अंकों की संख्या 2050 है। अभी निग्वेकर कमेटी का उल्लेख किया जा रहा था। अनेकों समितियां हैं, मैंने सारी समितियों का अध्ययन किया है। मैंने कोठारी समिति से लेकर निग्वेकर कमेटी तक सारी समितियों का उल्लेख किया है। उसके आधार पर क्या हुआ, मैं वह भी आपके सामने रखूंगा। अब यह जो मेन परीक्षा है, उसमें जो पहले पेपर्स होते हैं, वे क्वालिफाइंग पेपर्स कहे जाते हैं। उसमें 30-35-40 प्रतिशत क्वालिफाइंग होता है। उसमें अंग्रेजी का भी एक पेपर जरूर होता है और दूसरा जो पेपर होता है, कैंडिटेट को उसे हिन्दी या किसी ऑप्शनल भाषा में करने की स्वतंत्रता रहती है। यह जो प्रिलिमनरी परीक्षा, है इसके दो पेपर्स में से जो 200 अंक का दूसरा पेपर है, उसमें 2010 तक तो वैसे ही चल रहा था। 2010 के लगभग एक सुझाव आया, एक अलग कमेटी बनी और उसके सुझावों के आधार पर उस समय यह समझा गया – मैं नहीं था समझने वाला, न हममें से कोई था-- और यह निष्कर्ष निकाला गया कि उसमें 22 अंको का एक प्रश्न होना चाहिए, एक प्रेसी टाइप, जिसके बारे में कहा गया कि यह दसवीं कक्षा के स्टैंडर्ड का होता है। And in order to make it 'language neutral', as they though at that time, इसमें कैंडिडेट को कुछ नहीं लिखना है। यह ऑब्जेक्टिव टाइप है, प्रेसी दे दी गई। "Chairman Sir is sitting here. He is now ordering this." और फिर नीचे, some objective questions like, "Which of the following is true?" You just have to mark it so that you do not even have to write. It is more of English comprehension rather than English expression or English essay. And the reason given then, by those who thought it was so, – I am not subscribing to any of these views, I am just mentioning it here. I am only a medical practitioner and, hence, I am taking into cognizance what all the elder Members have said. They thought that it was essential to have certain basic working knowledge of English. Rightly or wrongly, that was their understanding of the issue. अब यह हो गया। इसके बाद 2011 से यह पद्धति आरम्भ हो गई। 2011 भी बीता। अब क्यों नहीं किसी ने उस समय इसका विरोध किया या हुआ, तो प्रभावी विरोध नहीं हुआ या आन्दोलन नहीं हुआ, जिस प्रकार का आन्दोलन आज हो रहा है।

SHRIMATI KANIMOZHI: We did oppose it.

DR. JITENDRA SINGH: I am not accusing anybody. I said, I am here to learn. As I am only researching on the subject, I am going back with very worthy inputs, both about the subject as well as about myself, about the three digits and all those things. I am glad that I am not one of those whose bytes go into three digits.

Coming back to the subject, I am just putting the record straight that we will take absolute cognizance of the wishes of the House. कोई विरोध नहीं हुआ, कोई आन्दोलन नहीं हुआ, कोई उपद्रव नहीं हुआ, फिर यह विषय ध्यान में कैसे आया? यह विषय ध्यान में इसलिए आया कि 2012 में एक पी.आई.एल. दायर की गई - दीनानाथ बत्रा एंड अदर्स। यदि यह पी.आई.एल. दायर न होती, तो शायद तब भी तत्कालीन सरकार इसका संज्ञान न लेती। I am not saying anything between the lines. It is for all worthy Members to draw their conclusions. In 2011, a cognizance of this issue was taken only after there was a High Court judgement following a PIL by Batra and Others. उस उच्च न्यायालय के निर्देश के अन्तर्गत एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया, क्योंकि उस न्यायालय के निर्देश में इस पी.आई.एल. ने यही बिन्दु उठाए थे, जो आज आदरणीय सदस्य उठा रहे हैं। उस निर्देश के अन्तर्गत सरकार ने एक तीन सदस्यीय समिति गठित की। उसके तीन सदस्यों के नाम थे – श्री अरविन्द वर्मा, श्री आर. के. गुप्ता और श्री पी.के. दास। यह उस सरकार ने किया। वह तिथि 12 मार्च, 2014 थी। उच्च न्यायालय की भावना का संज्ञान लेते हुए ...(**व्यवधान**)...

श्री शरद यादव : डिप्टी चेयरमैन साहब, यह समझ लीजिए कि आंकड़ों से यह पता चलता है कि भारतीय भाषाओं के बच्चों का यहां तक हाल हो गया और अंग्रेजी वाले बच्चे दुगुने हो गए। यह इनके जमाने में शुरू हुआ और आपके जमाने में भी कंटिन्यू हो रहा है। मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि इन सब बातों की हमें विस्तार से जानकारी है। इसलिए इसके इतने विस्तार में न जा करके जो ऑनलाइन एडमिट काड़र्स इश्यू हुए हैं, उस विषय पर आप जल्दी आ जाइए। ...(**व्यवधान**)...

डा. जितेन्द्र सिंह : मैं उसी विषय पर आ रहा हूं। ...(**व्यवधान**)...

श्री विजय गोयल : उपसभापति जी, यह विस्तार जरूरी है ताकि सदन को पूरी बात का पता चल सके, इसलिए दो मिनट आप इनको और सुन लीजिए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Vijay Goel, please sit down. The Minister is replying. You don't reply.

DR. JITENDRA SINGH: I accept your advice. I am coming to that, कहने का तात्पर्य केवल यह था कि इस कमेटी को एक मास का अंतराल दिया गया था। The Committee was expected and was asked by the then Government to submit its Report within one month, which he did not give and then the Committee was given an extension of three months by which time, incidentally, there was a change of Government. जब हम सत्ता में

आए, तो हमारे हिस्से में यह विषय भी आ गया, बेरोजगारी भी आ गई...(**व्यवधान**)... और सरकार भी आ गई। ...(**व्यवधान**)... अब इसे छुड़वाइएगा नहीं, आपकी कृपा से यह मिल गया है। यह आन्दोलन भी हमारे हिस्से में आ गया। अब हुआ यह, I am putting it very straight. There was no option now left to us. So, what to do now? All that we could do is, हमने इस समिति से कहा कि अपनी रिपोर्ट दीजिए, तो यह समिति कहने लगी कि हमारे जो तीन महीने थे, वे समाप्त हो चुके हैं, इसलिए आप या तो हमें एक्सटेंशन दीजिए, नहीं तो हम अपनी रिपोर्ट नहीं दे सकते। You see the kind of fix in which we were caught, which we were totally unaware of and were not actually prepared for it. अब हुआ यह कि हमने इस समिति से कहा कि हम आपको एक्सटेंशन देते हैं, परन्तु आप इसकी रिपोर्ट तुरन्त हमें दीजिए, because we could not have straightaway demolished that committee.

श्री नरेश अग्रवाल : क्या यह एक्सटेंशन टाइम बाउंड है?

डा. जितेन्द्र सिंह : आप मेरी बात सुनिए, मैं आपको यही बता रहा हूं। यह टाइम बाउंड है।

एक्सटेंशन के लिए उस समिति को हमने समय तो दे दिया, परन्तु उसके बाद जब यह आन्दोलन तीव्र गति पकड़ने लगा, तो लिखित रूप में एक पत्र उनको लिखा गया, जिसमें उन्हें कहा गया कि आप at the earliest and on urgent basis हमें इसकी रिपोर्ट भेजिए।

SHRI NARESH AGRAWAL : Earliest is a vague *shabd*. इसका कोई अर्थ नहीं है।

डा. जितेन्द्र सिंह : देखिए, आज हमने फिर से उस समिति को कहा है कि एक सप्ताह के अन्दर आप इसकी रिपोर्ट हमारे सुपुर्द कर दीजिए। अब यह रिपोर्ट किस प्रकार की होगी, उसी के आधार पर अगली रूपरेखा तय हो सकती है।

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा : यह ठीक नहीं है। ...(**व्यवधान**)... इस चीज़ को आप रोकिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री नरेश अग्रवाल : आप न्यायालय भी जा सकते हैं, एजिटेशन चल रहा है ...(**व्यवधान**)... इसलिए आप इसे रोकिए।

डा. जितेन्द्र सिंह : माननीय महोदय, आप मुझे बोलने के लिए दो मिनट दीजिए, उसके बाद यह सारी बात क्लीयर हो जाएगी। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let him reply. Please listen to this reply.

DR. JITENDRA SINGH: I am coming to what the hon. Member is saying. *...(Interruptions)...*

श्री जेसुदासु सीलम : आप उनको बार-बार बोलने का मौका ही मत दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please listen to this reply.

डा. जितेन्द्र सिंह : हमने उस कमेटी से कहा है कि सप्ताह भर में आप अपनी रिपोर्ट हमें दे दीजिए। अब वह रिपोर्ट कैसी होगी, उसी के आधार पर हम उसका संज्ञान लेंगे। यदि हमें ऐसा लगा कि फिर भी उसमें कुछ ऐसी क्लैरिफिकेशंस की आवश्यकता है, we can even then deliberate on that Report.

अब एडमिट कार्ड का विषय आ गया। हमें इसकी चिन्ता है। हुआ यह कि आज से कोई चार दिन पहले कुछ विद्यार्थी अनशन पर बैठे थे, बड़े कठोर प्रयास के साथ उनसे वह अनशन तुड़वाया गया। मेरी सभी सदस्यों से ...(**व्यवधान**)...

श्री के.सी. त्यागी (बिहार) : महोदय, इसमें मुझे एक बात कहने दी जाए।

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री; तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : सर, पहले मंत्री जी को बोलने दिया जाए।

DR. JITENDRA SINGH: I have not yielded.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He has not yielded. What can I do?

DR. JITENDRA SINGH: I have not yielded. Let me finish. ...*(Interruptions)*... मैंने उन्हें बहलाया नहीं है, हमने जज़बात निभाए हैं, उसूलों की जगह। तीन रात हम वहां बैठे और जब उन्होंने अनशन नहीं तोड़ा तो मैंने उन बच्चों से कहा, बेटा! आप अनशन तोड़ें या न तोड़ें अब हमारा तो अनशन हो गया है। We have taken it very sincerely because I myself have been a teacher for almost 25-30 years. ...*(Interruptions)*...

श्री नरेश अग्रवाल : यही सब करके तो आपने इस देश की जनता को ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let him reply, please. Please allow him to reply. Don't interfere and intervene.

DR. JITENDRA SINGH: Mr. Deputy Chairman, Sir, then what happened is, yesterday's instigation came from this admit card. हम आपके माध्यम से उन विद्यार्थियों को भी यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने उन्हें समझाया है, that the two issues need not be co-related. अगर एडमिट कार्ड इश्यू हुआ है, तो वह यू.पी.एस.सी. का एक कैलेंडर है, उसी के अंतर्गत हुआ है, जिस प्रकार से कोई एडवर्टाइज़मेंट इश्यू किया जाता है, परीक्षा की तिथि निश्चित की जाती है, वैसे ही एडमिट कार्ड की तिथि भी निश्चित की जाती है। This issuing of admit card which happened yesterday is not in any way going to influence the decision that was to be taken by the Government.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is very clear.

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा : आपने एडमिट कार्ड इश्यू कर दिया। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let him complete, Misraji.

डा. जितेन्द्र सिंह : आप मेरी बात सुन लीजिए। ...(**व्यवधान**)... मैंने इश्यू नहीं किया। ...(**व्यवधान**)...

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा : प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। ...(**व्यवधान**)...

डा. जितेन्द्र सिंह : यह गलत हो रहा है। ...(**व्यवधान**)... I want to put the record straight *...(Interruptions)...*

श्री उपसभापति : मिश्रा जी, ...(**व्यवधान**)... मंत्री जी को आपनी बात समाप्त करने दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

DR. JITENDRA SINGH: I want to put the record straight *...(Interruptions)...* Mr. Deputy Chairman, Sir, the Admit Cards have not been issued by us. They are being issued by the UPSC which is a separate body. It follows a calendar. The date of '24th August' has been carrying on for years together. That was not decided by the present Government.

Anyway, coming back to the point, the issue of Admit Card, all that I can assure you is not going to influence the further course of action. अब जैसे कमेटी की बात आई और जैसे स्टूडेंट्स की बात है, तो ऐसा भी नहीं है कि we are not personally in touch with them. हम उनके साथ हैं। हम तो सभी वर्गों के, सभी पार्टीज़ के सदस्यों को लेकर भी उनके साथ सम्पर्क बनाए हुए हैं। I would rather, now, appeal to you कि मैंने 2013-14 की बात इसलिए की थी कि इसमें कुछेक ऐसे विषय हैं, ऐसा भी न लगे कि यह जो विषय है, यह जो समस्या है, यह हमारी क्रिएशन है। परन्तु जिसकी भी है, समाधान करना तो हमारी जिम्मेवारी है। ...(**व्यवधान**)... अब मैं उपसभापति जी के माध्यम से, आपसे यह प्रार्थना करूंगा कि हम इन बच्चों से यह अपील करें कि वे अनावश्यक अपने आपको किसी शारीरिक या मानसिक क्लेश में न डालें। हमें उनसे सहानुभूति है, we are looking at their problems with all seriousness *...(Interruptions)...*

श्री नरेश अग्रवाल : सर, यह स्पष्ट जवाब नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Why are you interrupting? He is very clear *...(Interruptions)...*

डा. जितेन्द्र सिंह : सर, परीक्षा की तिथि ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : आप इनकी बात सुनिए। ...(**व्यवधान**)... आप लोग सुनिए। ...(**व्यवधान**)...

डा. जितेन्द्र सिंह : उपसभापति महोदय, मैं एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा।...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : आप लोग इनकी बात सुनिए। ...(**व्यवधान**)... आप लोग सुनिए। ...(**व्यवधान**)... No. You listen. आप पहले सुनिए। ...(**व्यवधान**)... आप सुनते नहीं हैं, मैं क्या करूं? ...(**व्यवधान**)... आप सुनिए। ...(**व्यवधान**)... आप लोग बैठिए। ...(**व्यवधान**)... आप इनकी बात सुनिए। ...(**व्यवधान**)... आप लोग सुनिए। ...(**व्यवधान**)... I will be forced to adjourn the House. That is the only way ...*(Interruptions)*... I will be forced to adjourn the House. मंत्री जी, आप अपनी बात खत्म कीजिए।

डा. जितेन्द्र सिंह : उपसभापति जी, मैं दो वाक्य कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा, because there is no point of being repetitive.

मैंने यह कहा कि यह जो परीक्षा की तिथि है, यह 24 अगस्त है। अब किसे पोस्टपोन करना है? मैंने आपको आश्वासन दिया कि एक सप्ताह के भीतर हम इसका संज्ञान लेकर एक निर्णय करेंगे और उसके आधार पर आगे की रूपरेखा होगी। दूसरी बात, let me assure you, Sir, I myself not in favour nor is the Government in favour of any injustice done to any group of students on the basis of language. भाषा के आधार पर किसी भी विद्यार्थी वर्ग से कोई पक्षपात हो या अन्याय हो, सरकार कभी कदापि इस मत का समर्थन नहीं करती, and we don't wish to link language with skill. धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House is adjourned to meet at 2.30 p.m.

The House then adjourned at thirteen minutes past one of the clock.

The House re-assembled after lunch at thirty minutes past two of the clock,

MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair.*

श्री नरेश अग्रवाल : माननीय उपसभापति महोदय, हम लोगों ने सवेरे एक मुद्दा उठाया था, लेकिन सरकार ने उस पर कोई गंभीरता नहीं दिखाई। हमने सुबह भी कहा था कि प्रधानमंत्री जी इसका जवाब दें।...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is now Private Member's Business. *...(Interruptions)...*

श्री नरेश अग्रवाल : माननीय उपसभापति महोदय, छात्रों पर इस तरीके से अत्याचार हो रहा है, जो नौजवान इस सरकार को यहां लाए हैं, उन नौजवानों पर लाठी पड़ रही है, उनको जेल भेजा जा रहा है और अंग्रेजी को प्राथमिकता दी जा रही है। श्रीमन्, हमारा आरोप है कि यह सरकार जान-बूझकर नौजवानों के साथ अत्याचार कर रही है। CAST को ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : नरेश जी, this is Private Members' time.

श्री नरेश अग्रवाल : श्रीमन्, इसके विरोध में समाजवादी पार्टी सदन का बहिष्कार करती है।

(At this stage, some hon. Members left the Chamber.)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Members, ...*(Interruptions)*... I am not allowing you. I am not permitting you. It is now Private Members' time. ...*(Interruptions)*...

श्री के.सी. त्यागी : माननीय उपसभापति महोदय, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, दोनों ऑन रिकॉर्ड हैं कि हिन्दी और भारतीय भाषाओं का सम्मान किया जाएगा। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : वह तो ठीक है, लेकिन अभी प्राइवेट मेम्बर्स का टाइम है।

श्री के.सी. त्यागी : महोदय, पिछले एक महीने से आंदोलन चल रहा है, इस विषय पर पूरा सदन, इस तरफ भी और उस तरफ भी, एक था, लेकिन माननीय मंत्री जी का जो बयान है, वह unsatisfactory है, उससे उनको कोई राहत नहीं मिलती है। इसलिए हम अपने नेता के नेतृत्व में सदन से वाक आउट करते हैं।

(At this stage, some hon. Members left the Chamber)

MESSAGE FROM LOK SABHA

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Message from Lok Sabha.

The Finance (No. 2) Bill, 2014

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:—

> "In accordance with provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Finance (No.2) Bill, 2014, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 25th July, 2014.
>
> 2. The Speaker has certified that this Bill is a Money Bill within the meaning of article 110 of the Constitution of India."

Sir, I lay a copy of the Bill on the Table.

STATEMENT BY MINISTER

Incidents occurring, New Maharashtra Sadan, New Delhi, on 17th July, 2014

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Members, we had requested the Government to make a statement on the incident in Maharashtra Sadan. The Chair also had directed; the hon. Home Minister is here to make the statement. I am allowing him to make the statement. What time we spend for that, we will extend it after 5 p.m., after the Private Members' Bill. I hope, the House agrees.